

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/एस.सी-एस.टी/पू.मै/2017-18

दिनांक : 04/10/17


अधिसूचना

राजस्थान राज्य में स्थित समस्त राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सत्र 2017-18 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए विभिन्न पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन-पत्र निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र. सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम	विद्यार्थी द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र की प्रस्तुति	विद्यालय द्वारा समेकित विस्तृत प्रस्ताव जिशिअ को प्रस्तुति	जिशिअ द्वारा समेकित विस्तृत एवं संख्यात्मक प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुति
(अ)	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08	25.09.2017	30.09.2017	05.10.2017
(ब)	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08	25.09.2017	30.09.2017	05.10.2017
(स)	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10	25.09.2017	30.09.2017	05.10.2017
(द)	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह- एस.बी.सी.) छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10	25.09.2017	30.09.2017	05.10.2017
(य)	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	25.09.2017	30.09.2017	05.10.2017

उपरोक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज गत वर्ष की भांति यथावत रहेंगे। उक्त विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/secondary के Scholarship Tab पर उपलब्ध है।

- विशेष :**
- उक्त समस्त छात्रवृत्तियों हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप संशोधित किया गया है। संलग्न संशोधित प्रारूप में ही विद्यार्थियों से आवेदन पत्र लिए जाने हैं।
 - प्रत्येक विद्यालय से छात्रवृत्तिवार पृथक-पृथक समेकित रिपोर्ट संलग्न Excel Sheet में अनिवार्यतः प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर समेकित की जानी है। उक्त शीट में कुछ कॉलम में ड्रापडाउन लिस्ट द्वारा विकल्पों का चयन किया जाना है, कुछ कॉलम में कोड अंकित किए जाने हैं, कुछ कॉलम में निश्चित संख्या में अंकों को भरा जाना है तथा शेष समस्त कॉलम में अंग्रेजी के Times New Roman Font Size-10 में Capital Letters में अपेक्षित जानकारी दी जानी है। शीट में किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं करने के निर्देश संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्य करने वाले कार्मिकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
 - विद्यार्थी का विद्यालय अभिलेख, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाते में नाम समान होना अनिवार्य है।


प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/एस.सी-एस.टी/पू.मै/2017-18

दिनांक: 04/09/17

विस्तृत दिशानिर्देश

कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (SC-ST) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2017-18

1. पात्रता एवं शर्तें :-

1. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का ही हो। (छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
2. छात्र/छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3. छात्र/छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर)आयकर दाता न हो।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5. छात्र/छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6. छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	75/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)
2	छात्रा	6 से 8	125/- प्र.माह (SC व ST दोनों के लिए)

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

1. छात्र/छात्रा के माता-पिता के आयकर दाता न होने का प्रमाण-पत्र(माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक)
2. गत परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की स्वप्रमाणित प्रति।
4. विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

- (अ) छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। : 25.09.2017
- (ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी जि.शि.अ. (माध्यमिक/प्रारम्भिक) /संभागीय अधिकारी संस्कृत शिक्षा को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि। : 30.09.2017
- (स) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि (समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा(प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा) : 05.10.2017

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले राजकीय/निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के आवेदन पत्र संभाग कार्यालयों में सुरक्षित रखे जावेंगे।



प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60173/ओ.बी.सी./पू.मै/2017-18

दिनांक :

04/09/17

विस्तृत दिशानिर्देश

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राओं (कक्षा 6 से 10) हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2017-18

1. पात्रता एवं शर्तें :-

1. छात्र/छात्रा को राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति का होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 44500/- रुपये की सीमा से अधिक ना हो।
3. छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम C ग्रेड प्राप्त करना एवं कक्षा 9 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
4. छात्र/छात्रा द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा रही हो।
5. बी.पी.एल. परिवार के छात्र/छात्रा को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. कुल छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत छात्राओं को प्राथमिकता से प्रदान की जाएगी।
7. छात्र/छात्राओं में से निर्धनतम (The Poorest) को प्राथमिकता से चयन करते हुए क्रमशः ऊपर आना है अर्थात् पात्र आवेदन पत्रों में सबसे कम वार्षिक आय वाला आवेदन चयन में सबसे ऊपर होगा। इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ना है।
8. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र/छात्रा	6 से 8	40/- प्र.माह
2	छात्र/छात्रा	9 से 10	50/- प्र.माह

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

1. छात्र/छात्रा के माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र(माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक)
2. गत परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति।
3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की स्वप्रमाणित प्रति।
4. विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

- (अ) छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि : 25.09.2017
- (ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी जि.शि.अ. (माध्यमिक/प्रारम्भिक) /संभागीय अधिकारी संस्कृत शिक्षा को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि : 30.09.2017
- (स) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि : 05.10.2017
- (समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा(प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले राजकीय/निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के आवेदन पत्र संभाग कार्यालयों में सुरक्षित रखे जावेंगे।



प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/ए/60175/अस्वच्छ छात्रवृत्ति/2017-18

दिनांक : 04/09/17

विस्तृत दिशानिर्देश

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को देय पूर्व मैट्रिक (UNCLEAN) छात्रवृत्ति वर्ष 2017-18

उपरोक्त विषयान्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार सूचित कर निर्देश दिये जाते हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ.9(4)() छात्र/अस्व./सा.न्या.अ.वि/11-12 /32594-95 दिनांक 24.04.12 एवं भारत सरकार के पत्र कमांक 11017/05/ 2012-SCD-V दिनांक 04.04.12 के अनुसार कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत हो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के वर्ष 2017-18 के प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत विद्यालय के संस्था प्रधान को सम्पूर्ण औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये जाने हैं।

1. पात्रता एवं शर्तें :-

1. छात्र/छात्रा कक्षा-1 से 10 में अध्ययनरत होना चाहिए।
2. छात्र-छात्रा के माता पिता/अभिभावक का सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
4. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

DAYSCHOLARS

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
1 से 10	110	750

HOSTELLERS (छात्रावासी)

कक्षा छात्र/छात्रा	छात्रवृत्ति दरें (10माह हेतु)	वार्षिक अनुदान
3 से 10	700	1000

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

1. गत वर्ष की अंकतालिका।
2. सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे होने का प्रमाण-पत्र
3. अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलने का प्रमाण-पत्र
4. विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

- (अ) छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि : 25.09.2017
- (ब) संस्था प्रधान द्वारा संबंधित नियंत्रण अधिकारी जि.शि.अ. (माध्यमिक/प्रारम्भिक) /संभागीय अधिकारी संस्कृत शिक्षा को आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि : 30.09.2017
- (स) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि : 05.10.2017
(समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा(प्रथम/द्वितीय)/निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा)

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले राजकीय/निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के आवेदन पत्र संभाग कार्यालयों में सुरक्षित रखे जावेंगे।

04/09/17

प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

www.rajteachers.com बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्र.प्र./ए/60133/वि.पि.वर्ग/पूमे/2017-18

दिनांक : 04/09/18

विस्तृत दिशानिर्देश

अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह-एस.बी.सी.) को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2017-18

1. पात्रता एवं शर्तें :-

- विद्यार्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह-एस.बी.सी.) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष समूह की जाति का होना अनिवार्य है (विशेष समूह-एस.बी.सी में 1.बंजारा, बालदिया,लबाना 2.गाडिया-लोहार,गाडोलिया 3.गूजर, गुर्जर 4.राईका, रैबारी(देबासी) 5.गडरिया(गाडरी),गायरी जातियां शामिल है)
- छात्र/छात्रा राजकीय अथवा निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 6 से 10 तक में नियमित अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा के माता-पिता की वार्षिक आय अधिकतम 2,00,000 रुपये हो (उनके जीवित न होने पर संरक्षक)
- छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
- छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावें।


2. छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/- प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/- प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/- प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/- प्र.माह

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :-

- छात्र/छात्रा के माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र(माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक)
- गत परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की स्वप्रमाणित प्रति।
- विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड की छायाप्रति।

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आने वाले राजकीय/निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों के आवेदन पत्र संभाग कार्यालयों में सुरक्षित रखे जावेंगे।


प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
आवेदन-पत्र
(सत्र 2017-2018 की छात्रवृत्ति हेतु)

विद्यार्थी का
स्वप्रमाणित
फोटो

छात्रवृत्ति योजना का नाम जिसके
लिए आवेदन किया जा रहा है
विद्यार्थी के विद्यालय का नाम

विद्यार्थी का विवरण

- 1 विद्यार्थी का नाम :
- 2 जन्म तिथि (DD/MM/YYYY) :
- 3 धर्म (हिन्दु/मुस्लिम/सिख/ईसाई/पारसी/
बौद्ध/जैन/अन्य) :
- 4 लिंग(पुरुष/महिला/ट्रांसजेण्डर) :
- 5 कक्षा जिसमें अध्ययनरत है :
- 6 विद्यार्थी का S.R.नम्बर(विद्यालय द्वारा भरा जावे) :
- 7 गत वर्ष के प्राप्तांक(कक्षा 01 से 08 तक ग्रेड-ए
/बी/सी/डी/ई एवं कक्षा 09 से 12 तक
प्रतिशत) :
- 8 जाति वर्ग(अजा/अजजा/अपिव/अपिव (विशेष
समूह)/ सामान्य/अल्पसंख्यक) :
- 9 डे-स्कॉलर/हॉस्टलर :
- 10 बैंक खाता संख्या :
- 11 बैंक शाखा का नाम :
- 12 बैंक का आई.एफ.एस.कोड(IFSC) :
- 13 बैंक खाता आधार सीडेड है(हां/नहीं) :
- 14 विद्यार्थी का आधार नम्बर/ विद्यार्थी का आधार
एनरोलमेन्ट नम्बर(यदि विद्यार्थी ने आधार के
लिए आवेदन किया हो परन्तु उसे आधार नम्बर
अभी तक प्राप्त नहीं हुआ हो) :
- 15 विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर :
- 16 विद्यार्थी का ई-मेल आई.डी. :

विद्यार्थी के परिवार का विवरण

- 17 पिता का नाम :
- 18 माता का नाम :
- 19 परिवार की वार्षिक आय :
- 20 स्थाई पता :
- 21 भामाशाह नम्बर :
- 22 राशन कार्ड नम्बर :
- 23 क्या विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य
किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई
सहायता प्राप्त कर रहा है(हां/नहीं) :
- 24 यदि हां तो विवरण दें :

नोट :- विद्यार्थी संस्था प्रधान के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर स्वयं के विद्यालय में अंतिम दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करेगा।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

हस्ताक्षर कक्षाध्यापक

हस्ताक्षर विद्यार्थी